बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या :– से0प्र0उप0–26/विविध–07–02/2018 1725(s) पटना, दिनांक – 18/2/19

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा निर्माण विभाग संहिता भाग–1 (1958) (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 159 क के उप नियम (iii) को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं:–

"(iii) (क) अत्यावश्यक/आकस्मिक प्रकार की योजनाओं के विभागीय कार्य हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता सम्यक् विचारोपरान्त आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार के आदेश हेतु समर्पित करेंगे।

अनुमोदन देने हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् होंगे :–

क्रमांक	कार्य की राशि	आदेश हेतु सक्षम प्राधिकार
1	₹3.5 करोड तक के कार्य।	मुख्य अभियंता
2	₹3.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के कार्य।	प्रधान सचिव/सचिव
3	₹5 करोड़ से ₹15 करोड़ तक के कार्य।	विभागीय मंत्री

(ख) विभागीय कार्यों हेतु सामग्रियों की आपूर्त्ति Bihar Financial Rules के अनुसार निविदा/कोटेशन प्राप्त कर किया जायेगा। निर्माता सरकारी प्रतिष्ठानों से सामग्री सीधे क्रय की जा सकेगी। श्रमिकों का भुगतान Labour Contract के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) यथा संभव विभागीय Tools & Plants का प्रयोग कर विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराए जाएँगे। विभागीय रूप से Tools & Plants की अनुपलब्धता की स्थिति में Bihar Financial Rules के अनुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से Tools & Plants Hire कर कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) विशेष तकनीकी प्रकृति के कार्य को Piece Rate Basis पर Bihar Financial Rules के अनुसार निविदा/कोटेशन आमंत्रित कर कराया जा सकेगा।

(ङ) सामग्रियों/सेवाओं/Tool & Plants आदि के लिये आपूर्तिकर्त्ता/प्रदाताओं का Panel वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बना लिया जायेगा। इस हेतु तकनीकी योग्यता संबंधी प्रावधान प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। तकनीकी रूप से योग्य आपूर्तिकर्त्ता/प्रदाताओं से वित्तीय वर्ष के दौरान समय–समय पर कार्यवार वित्तीय निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर आपूर्ति ली जायेगी।

(च) विभागीय कार्यों के स्वीकृति के पूर्व डिजाईन/प्राक्कलन तैयार किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी कार्य प्राक्कलन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यान्वित किया जायेगा। साथ ही बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) विभागीय कार्यों में अस्थायी अग्रिम की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी बल्कि आपूर्तिकर्त्ता को सीधे चेक/ऑन–लाईन माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान किया जायेगा।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रत्नेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– से0प्र0उप0–26/विविध–07–02/2018 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– से0प्र0उप0–26/विविध–07–02/2018 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– से0प्र0उप0–26/विविध–07–02/2018 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– से0प्र0उप0–26 / विविध–07–02 / 2018 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– से0प्र0उप0–26 / विविध–07–02 / 2018 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– से0प्र0उप0–26 / विविध–07–02 / 2018 1726(S) पटना, दिनांक – 18/2/19

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

18.2.19

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Upload it
21.2.19
IT Manager
26/02/19